न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री के.आर. चौहान, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 490/2018

वादी :– रणजीत पुत्र श्री राजूराम नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता कौशल्या पत्नी श्री राजूराम, जाति जाट, निवासी पीथास, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. उरजनराम पुत्र श्री चैनाराम
2. शंकरराम पुत्र श्री उरजनराम
3. कमलादेवी पुत्री श्री उरजनराम
4. परमा पुत्री श्री उरजनराम
5. तीज्या पुत्री श्री उरजनराम
6. राजूराम पुत्री श्री शंकरराम
7. गणपति पुत्री श्री शंकरराम
   जातियान जाट, निवासीगणी पीथास
   तहसील मेड़ता, जिला नागौर
8. तहसीलदार, मेड़ता।

दावा बाबत बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 53 व 88

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय दिनांक :– 26/11/19

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी श्री रामरतन डिडेल ने दावा बाबत बंटवाड़ा एवं घोषणा खातेदारी का पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 हिन्दू है, सभी एक ही परिवार के सदस्य है तथा हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा की बनारस स्कूल से गर्वन होते है। मौजा पीथास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 50 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 60 रकबा 1.9600 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 274 रकबा 1.8000 हैक्टेयर कुल रकबा 4.09 हैक्टेयर की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण आराजी पर वादी का काश्त व कब्जा है। उक्त खसरान की भूमि आगे वाद में मुतनाजा आराजी के नाम से संबोधित की गई है। नकल खतौनी व मिलान क्षेत्रफल की नकल साथ में पेश है। वादग्रस्त खसरान की भूमि में वादी के परदादा चैनाराम जी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। चैनाराम जी के स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। इस प्रकार वादग्रस्त खसरान भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है, जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को उनके पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने वादग्रस्त आराजी सहित अन्य भूमि का मौके पर सहुलियत के अनुसार जुबानी बंटवाड़ा आज से करीब 1 वर्ष पूर्व कर लिया है, जिसमें मौजा रामलियावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 244 रकबा 2.98 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 के बंट में रखा गया है तथा खसरा नम्बर 258 रकबा 1.81 हैक्टेयर व ग्राम पीथास की सरहद में स्थित खेत

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 135 रकबा 1.17 हैक्टेयर प्रतिवादी शंकरराम के बंट में रखा गया है, इसी प्रकार ग्राम कुरड़ाया की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1034/2169 रकबा 1.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1197 रकबा 0.177 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 126 रकबा 1.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 130 रकबा 2.61 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1182 रकबा 1.72 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2381/2000 रकबा 1.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1198 रकबा 0.95 हैक्टेयर प्रतिवादी राजूराम के बंट में रखे गये है तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 5 व 7 ने अपने बंट की एवज में नगदी व जेवरात प्राप्त कर लिये है। जिससे प्रतिवादी संख्या 1 से 7 का वादग्रस्त आराजी में कोई हक, अधिकार, बंट, काश्त व कब्जा नही है। इस प्रकार वादग्रस्त खसरान की सम्पूर्ण भूमि वादी की खातेदारी की बंटसुदा, काश्त व कब्जासुद है। उपरोक्त वर्णित बंट के अनुसार वादी मौके पर काश्त व काबिज है तथा अलग–अलग सीवें व माठे कायम कर ली है। मगर विधिवत बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स नही हुआ है। जिससे मुतनाजा खसरान का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाने हेतु वाद पेश है। उक्त मुतनाजा आराजी पर काश्त व कब्जा वादी का ही कायम है। मगर मुतनाजा की खातेदारी केवलमात्र प्रतिवादी उरजनराम जी के नाम ही दर्ज है। इसलिये वादी यह घोषणा का वाद पेश कर इस प्रकार की घोषणा करवाने का अधिकारी है कि मौजा पीथास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 50 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 60 रकबा 1.9600 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 274 रकबा 1.8000 हैक्टेयर कुल रकबा 4.0900 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

भूमि वादी की बंटसुदा खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है। प्रतिवादी संख्या 8 तहसीलदार मेड़ता भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार है। इसलिये इनको पक्षकार बनाया गया है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 10 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

2. वादी ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा पीथास की जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076, खाता संख्या 8 व 108 मौजा रामलियावास की जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075, खाता संख्या 03 व 185, मौजा ग्राम कुरड़ाया की जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072, खाता संख्या 767, 815, 1025, 719, मिलान क्षेत्रफल एवं ग्राम पीथास की जमाबंदी सम्वत् 2020 से 2023, खाता संख्या 08 एवं उरजनराम के सिजरा खानदान की प्रति पेश की।

3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से वकील श्री राजेन्द्र कुमार धोला ने वकालतनामा पेश किया। वादी रणजीत नाबालिग होने से वादी की ओर से कुदरती वली माता कौशल्या एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 8 बाजवूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने से दिनांक 12.09.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी है।

4. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है। जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

—: आदेश :—

6.(क) **वादी रणजीत के बंट में :—** मौजा पीथास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 50 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 60 रकबा 1.9600 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 274 रकबा 1.8000 हैक्टेयर कुल रकबा 4.09 हैक्टेयर भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

7. प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने अपने हक की भूमि का हक तर्क वादी के पक्ष में कर दिया है। जिससे हक तर्क व बंटवाड़े की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही हो तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/11/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

के.आर. चौहान

उपखण्ड अधिकारी,

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

मेड़ता

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Kashi Ram Chauhan
Date: 2019.12.20 11:15:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: